न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
07 / 2025	09.07.2025	30.03.2026

1. कौशल्या बेवा रामजीलाल गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार।
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार।
4. अल्का पुत्री रामजीलाल गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री अंजनी कुमार तेहरिया, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है:–

- यह कि प्रार्थीगण ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर के मूल निवासी है। एवं राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील खण्डार के खाता संख्या नया 31 पुराना 30 में अंकित कृषि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी 2 प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी मे दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
- यह कि उक्त प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त आराजी खसरा 169 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा वांके ग्राम जयसिंहपुरा मे स्थित भूमि की पत्थरगढी बावत श्रीमान तहसीलदार जी को भी प्रार्थना पत्र देकर कई बार निवेदन किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही की और तहसीलदार जी ने दिनांक 19.06.2025 को प्रार्थीगण से कहा कि पत्थरगढी के आदेश श्रीमान एसडीओ साहब के न्यायालय से होगें। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना लाजमी आया ।
- यह कि उपरोक्त मद नं0 01 मे वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी 2 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की तरमीमशुदा भूमि है तथा रामेश्वर रोड के सहारे स्थित है। उक्त प्रार्थीगण की आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाया जाना न्याय परमावश्यक है।
- यह कि प्रार्थीगण की भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है
- यह कि प्रार्थना पत्र अन्द[illegible] पर पेश है।
- यह कि अन्य उज्रात वरक्त [illegible] अर्ज किये जायेगें ।
- अतः श्रीमानजी की सेवा[illegible] जाने पत्थरगढी अन्त[illegible]रा 128 एल. आर. एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर [illegible]वेदन है कि प्रार्थीगण [illegible]ना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार के खाता संख्या नया 31 पुराना 30 मे अंकित कृषि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:51:35 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

तहसीलदार जी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब फरमाकर प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 1.16 बीघा वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 31 में कौशल्या बेवा रामजीलाल योगेंद्रसिंह राजेंद्रसिंह पि. रामजीलाल हिस्सा राहिन sbbj शाखा खण्डार अल्का पुत्री रामजीलाल हिस्सा राहिन sbi शाखा खण्डार गूजर सा. देह के नाम सयुक्त खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक पटवार हल्का जयसिंहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 12/07/2023 को किया हुआ है जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न है तथा मौके पर खातेदारों का ही कब्जा काश्त है एवं जौ की फसल काश्त कर रखी है। अतः फसल कटने के पश्चात् पत्थरगढ़ी किया जाना संभव है।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी 2 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की तरमीमशुदा भूमि है तथा रामेश्वर रोड के सहारे स्थित है। उक्त प्रार्थीगण की आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाया जाना न्याय परमावश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी खसरा नम्बर की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण खसरा नम्बर 169 वाकें ग्रम जयसिंहपुरा के रिकॉर्डेड खातेदार है। खसरा नम्बर 169 रकबा 1.16 बीघा का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 12/07/2023 को किया हुआ है, मौके पर खातेदारों का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने के नाते अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी है।

आदेश

5. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डार को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 169 रकबा 1–16 बीघा वांके ग्राम जयसिंहपुरा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावें। पत्थरगढ़ी से पूर्व तहसीलदार खण्डार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढ़ी का है। जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार खण्डार को भिजवाई जावें। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:51:35 IST
Reason: SelfAttested

30/3/26

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)